राजस्थान सरकार

औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,

जयपुर, राजस्थान

कमांकः डीसी / विधि / 2014 / 211 दिनांक :– 11-09-14

प्रभारी, सर्वर रूम,
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
मुख्यालय, जयपुर।

विषय :– प्रकरण संख्या 337 / 02 (पुराना), 09 / 2014 (नया) सरकार बनाम मनीष सर्जिकल व अन्य मे पारित निर्णय की प्रति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुर ने उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में दिनांक 27.06.2014 को आदेश पारित किया है जिसकी प्रति विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्श करते हुये समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान एवं समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान को ई–मेल भी करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार (31)

औषधि नियंत्रक
राज0 जयपुर

औषधि निरीक्षक/ मु0न0 09/2014 रेफरो

1

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
जिला एवं सेशन न्यायालय, उदयपुर

न्यायालय :अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, किरा[illegible], उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: : अल्का [illegible]

प्रकरण सख्या 09/2014 रेफो.

सरकार जरिये ललित अजारिया, औषधि निरीक्षक, उदयपुर

.......परिवादी

:: विरूद्व::

1. मैसर्स मनीष सर्जीकल एम्पोरियम, मेहता सदन सेठ जी की बाडी, उदयपुर जरिये फर्म मालिक प्रताप राय वाधवानी पुत्र त्रिलोक चंद निवासी 3–क–8, हिरणमगरी, सेक्टर नंबर–11, उदयपुर
2. प्रताप राय वाधवानी पुत्र त्रिलोक चंद मालिक फर्म मैसर्स मनीष सर्जीकल एम्पोरियम, उदयपुर निवासी 3–क–8, हिरणमगरी, सेक्टर नंबर–11,उदयपुर
3. जगदीश बारबर पुत्र मोहनलाल बारबर सक्षम व्यक्ति– मैसर्स मनीष सेठ जी की बाडी, मेहता सदन, उदयपुर निवासी 3–क–8, हिरणमगरी, सेक्टर नंबर–11,उदयपुर (मृत्यु होने से कार्यवाही अबेट दि. 27.1.13)
4. मैसर्स फ्लोवल मार्केटिंग प्रा. लि. 164 आशीर्वाद एस्टेट, फॉर्ज एवं ब्लोवर के पास, नरोडा रोड अहमदाबाद–380025 जरिये डायरेक्टर्स सांकलचंद पटेल एवं चन्दू भाई पटेल एवं जयन्ती भाई पटेल पुत्र सांकलचन्द्र पटेल निवासी 10, असारवा सोसायटी, न्यू सिविल रोड, अहमदाबाद
5. सांकलचंद पटेल पुत्र शिवराम पटेल डायरेक्टर, मैसर्स फ्लोवल मार्केटिंग प्रा. लि. 164 आशीर्वाद एस्टेट, फॉर्ज एवं ब्लोवर के पास, नरोडा रोड अहमदाबाद–380025 निवासी 10, असारवा सोसायटी, न्यू सिविल रोड, अहमदाबाद 380016
6. चन्दू भाई पटेल पुत्र सांकलचंद पटेल डायरेक्टर, मैसर्स फ्लोवल मार्केटिंग प्रा. लि. 164 आशीर्वाद एस्टेट, फॉर्ज एवं ब्लोवर के पास, नरोडा रोड अहमदाबाद–380025 निवासी 10, असारवा सोसायटी, न्यू सिविल रोड, अहमदाबाद 380016
7. जयन्ती भाई पटेल पुत्र सांकलचंद पटेल डायरेक्टर, मैसर्स फ्लोवल मार्केटिंग प्रा. लि. 164 आशीर्वाद एस्टेट, फॉर्ज एवं ब्लोवर के पास, नरोडा रोड अहमदाबाद–380025 निवासी 10, असारवा सोसायटी, न्यू सिविल रोड, अहमदाबाद 380016
8. गिरीश कुमार पटेल पुत्र गंगाराम पटेल डायरेक्टर मैसर्स फ्लोवल मार्केटिंग प्रा. लि. 164 आशीर्वाद एस्टेट, फॉर्ज एवं ब्लोवर के पास, नरोडा रोड अहमदाबाद–380025
9. बाबू भाई पटेल पुत्र सांकलचंद पटेल डायरेक्टर, मैसर्स फ्लोवल मार्केटिंग प्रा.लि. 164, आशीर्वाद एस्टेट, फॉर्ज एण्ड ब्लोवर के पास, नरोडा रोड अहमदाबाद 380025, निवासी 10, असारवा सोसायटी, न्यू सिविल रोड, अहमदाबाद 380016 (मृत्यु होने से दिनांक 3.11.08 को कार्यवाही अबेट)
10. महेन्द्र कुमार पटेल पुत्र सांकलचंद पटेल डायरेक्टर, मैसर्स फ्लोवल मार्केटिंग प्रा.लि., 164 आशीर्वाद एस्टेट, फॉर्ज एण्ड ब्लोवर के पास,

अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं

नरोडा रोड, अहमदाबाद–380025 निवासी 10 असारवा सोसायटी, न्यू सिविल रोड, अहमदाबाद–380016

11. ए.जी. पटेल डायरेक्टर मैसर्स फ्लोवल मार्केटिंग प्रा.लि. 164 आशीर्वाद एस्टेट, फार्ज व ब्लोवर के पास, नरोडा रोड, अहमदाबाद–380025

12. श्रीमती दीपाली पटेल पत्नी बिपिन कुमार पटेल सक्षम व्यक्ति मैसर्स फ्लोवल मार्केटिंग प्रा.लि. 164, आशीर्वाद एस्टेट, फार्ज एण्ड ब्लोवर के पास, नरोडा रोड– 380025

13. मैसर्स दीपाली एंटरप्राइजेज 164, आशीर्वाद एस्टेट, फार्ज एण्ड ब्लोवर के पास, नरोडा रोड–अहमदाबाद 380025 जरिये पार्टनर चन्दू भाई पटेल पुत्र सांकलचंद पटेल, निवासी 10 असारवा सोसायटी, न्यू सिविल रोड, अहमदाबाद–380016

14. चन्दू भाई पटेल पुत्र सांकलचंद पटेल पार्टनर मैसर्स दीपाली एंटरप्राइजेज 164, आशीर्वाद एस्टेट, फॉर्ज एण्ड ब्लोवर के पास, नरोडा रोड, अहमदाबाद–380025 निवासी 10 असारवा सोसायटी, न्यू सिविल रोड अहमदाबाद–380016

15. महेन्द्र कुमार पटेल पुत्र सांकलचंद पटेल डायरेक्टर, मैसर्स दीपाली एंटरप्राइजेज, 164 आशीर्वाद एस्टेट, फॉर्ज एण्ड ब्लोवर के पास, नरोडा रोड, अहमदाबाद–380025 निवासी 10 असारवा सोसायटी, न्यू सिविल रोड, अहमदाबाद–380016

16. श्रीमती कमला बेन पत्नी सांकलचंद पटेल, पार्टनर मैसर्स दीपाली एंटरप्राइजेज, 164 आशीर्वाद एस्टेट, फॉर्ज एण्ड ब्लोवर के पास नरोडा रोड, अहमदाबाद–380025, निवासी 10 असारवा सोसायटी, असारवा, न्यू सिविल रोड, अहमदाबाद–380016

17. श्रीमती दही बेन पत्नी जयन्ती भाई पटेल, पार्टनर मैसर्स दीपाली एंटरप्राइजेज, 164 आशीर्वाद एस्टेट, फॉर्ज एण्ड ब्लोवर के पास, नरोडा रोड, अहमदाबाद–380025, निवासी 10 असारवा सोसायटी, न्यू सिविल रोड, अहमदाबाद–380016

18. सुनील सी. शाह मेन्युफेक्चरिंग केमिस्ट, मैसर्स दीपाली एंटरप्राइजेज, 164 आशीर्वाद एस्टेट, फॉर्ज एण्ड ब्लोवर के पास, नरोडा रोड, अहमदाबाद–380025 (मफरूर)

19. श्रीमती किरन बेन ए. पटेल टेस्टिंग एनालिटिकल केमिस्ट, मैसर्स दीपाली एंटरप्राइजेज, 164 आशीर्वाद एस्टेट, फॉर्ज एण्ड ब्लोवर के पास, नरोडा रोड, अहमदाबाद–380025

.... अभियुक्तगण

अपराध धारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 18 (a) (i), 18 (a) (iv) 18 (b) सपठित धारा 16, 17 (c), 17(a) एवं नियम 125–ए, धारा 27 (a), 27 (b),(i),27 (d)

उपस्थितिः

1. श्री गणेश शंकर तिवारी– अधिवक्ता–परिवादी ।
2. श्री रोहित कंठालिया–अधिवक्ता– अभियुक्त संख्या– 1 व 2
3. श्री जगदीश पूर्बिया– अधिवक्ता अभियुक्त संख्या– 3 से 19

मु0न0 09/2014 रेफो
औषधि निरीक्षक/मै0 मनीष सर्जीकल वगैरा
3

A280

:: नि र्ण य ::

दिनांक :27, जुन, 2014

यह परिवाद दिनांक 27.4.2002 को औषधि निरीक्षक ललित अजारिया ने इस आशय का पेश किया कि उनके द्वारा दिनांक 19.5.97 को मैसर्स मनीष सर्जिकल एम्पोरियम, उदयपुर का निरीक्षण किया था। निरीक्षण दुकान में विक्रयार्थ संग्रहित प्रदर्शित औषधियों के संबंध में किया गया था तथा उनमें से 3 औषधियों के नमूना वास्ते जांच लिया गया जिनमें से एक नमूनाः–

Sample No. : Sample /UDR/LAJ/May97/01
Infusion Set [Life Care]
As per ISI 12655 Sterlised by ETO, Disposable
Non Toxic PVC, Sterile & Non Pyrogenic
Ready For use
Quantity-4 x 25 Nos.
Batch No.847
Mfg. Dt. oct. 96 & Sterilisation Dt. Oct.. 96
Mfg. M/s Dipalee Enterprises,
144, Ashirwad Estate, Naroda Road, Ahmedabad-380025
Mfg. Lic. No. G/633

प्रतापराय वाधवानी मालिक फर्म मैसर्स मनीष सर्जिकल की उपस्थिति में लिया गया । जिस नमूने को उनकी उपस्थिति में 1 बाई 25 नंबर एस इन्फ्युजन सेट, चार भागो में करते हुए पेकेट बनाकर ब्रास सील से सीलबंद किया गया तथा फार्म नंबर 17 लिया गया। नमूने का एक सीलबंद भाग प्रतापराय वाधवानी को दिया गया। नमूने मे ली गई औषधि की कीमत का बिल 92 दिनांक 19.5.97 फर्म मैसर्स मनीष सर्जिकल द्वारा जारी किया गया था। मौके पर ही फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसकी फर्द प्रतापराय वाधवानी को दी गई तथा बिल भुगतान हेतु सहायक औषधि नियंत्रक उदयपुर को प्रेषित किया गया तथा नमूने को सी आई पी एल गाजियावाद उप औषधि नियंत्रक राजस्थान के आदेश से भेजा गया। दिनांक 2.7.97 को औषधि के नमूने का एक भाग मय फार्म नंबर 18 पर मेमोरेण्डम नंबर 97/67 दिनांक 2.7.1997 की एक प्रति आउटर कवर में डालते हुए पैकेट बनाकर फार्म नंबर 18 पर ही ब्रास सील से सीलबंद करते हुए वास्ते जांच राजस्थान विश्लेषक सी आई पी एल गाजियाबाद को भिजवाया गया

अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं

जिनके द्वारा दिनांक 24.9.98 को रिपोर्ट प्रेषित करते हुए नमूने को अवमानक कोटि का घोषित किया गया । उनके द्वारा इस संबंध में निम्न राय दी गईः–

The Sample does not confrom to the general requirements in respect of pyrogen. pyrogen :FAILS

जिस रिपोर्ट की प्रति दिनांक 13.10.98 को प्रतापराय वाधवानी को उसकी दुकान पर जाकर व्यक्तिगत तौर पर दी गई तथा उनसे औषधि के स्टॉक विक्रय के विवरण आदि के संबंध में जानकारी चाही गई। तब अभियुक्त फर्म मैसर्स मनीष सर्जिकल ने औषधि मैसर्स फ्लोवल मार्केटिंग प्रा0 लि0 अहमदाबाद से जरिये बिल 551 दिनांक 16.11.1996 को कय करना बताया। अभियुक्त नंबर 1 मैसर्स मनीष सर्जिकल द्वारा दी गई सूचना के आधार पर औषधि के नमूने की टेस्ट रिपोर्ट सीलबंद कर एक भाग के साथ रजिस्टर्ड पोस्ट पार्सल से दिनांक 2.12.98 को मैसर्स फ्लोवल मार्केटिंग प्रा0 लि0 को भिजवाते हुए औषधि के कय बिल स्टॉक पोजिशन एवं विक्रय विवरण आदि के संबंध में जानकारी देने तथा उपरोक्त औषधि के विक्रय को तत्काल प्रभाव से रोकते हुए माल को पुनः मंगाने की कार्यवाही के निर्देश दिये। मैसर्स फ्लोवल मार्केटिंग प्रा0 लि0 ने औषधि को अभियुक्त नंबर 13 मैसर्स दीपाली एंटरप्राइजेज से जरिये बिल डीई/47 दिनांक 16..11.96 से कय करना बताया जिस पर मैसर्स दीपाली को उपरोक्त औषधियों का विक्रय तुरन्त प्रभाव से रोकने के निर्देश के साथ स्टॉक पोजिशन के संबंध में जानकारी देने तथा माल को पुनः मंगाने के निर्देश दिए गए। मैसर्स दीपाली एंटरप्राइजेज द्वारा परिवादी को जानकारी पेश की गई लेकिन दस्तावेजो की प्रतियां अप्रमाणित थी जिस पर पुनः उनसे प्रमाणित दस्तावेजो की प्रतियां प्रेषित करने हेतु निर्देश दिए गए। मैसर्स फ्लोवल मार्केटिंग प्रा0 लि0 अहमदाबाद ने अपने पत्र कमांक–/UDR/LAJ/99/256-258 दिनांक 6.5.99 के जरिये फार्म एक लाइसेंस एवं संविधान की प्रमाणित प्रतियां उन्हें पेश की। मैसर्स दीपाली ने पत्र दिनांक 8.10.99 के जरिये यह बताया कि कहीं भी औषधि पुनः प्राप्त नही हुई है श्रीमान औषधि नियंत्रक राजस्थान ने अपने पत्र कमांक डीसी/टेस्ट–3/99/137 दिनांक 15.4.99 के जरिये सभी फर्मो के संविधान व्यक्तिगत स्तर पर प्राप्त करने के निर्देश दिए जिस संबंध में परिवादी द्वारा आयुक्त खाद एवं औषधि प्रसाधन गुजरात को विभिन्न समय पर पत्र प्रेषित किए गए। अभियुक्त संख्या– 1 से 19 में से किसी ने भी राजकीय विश्लेषक की टेस्ट रिपोर्ट के प्रतिवाद में साक्ष्य प्रस्तुत करने का आशय अधिसूचित नही किया, न ही अवमानक कोटि औषधि के निर्माण/विक्रय

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
जिला न्यायालय, उदयपुर

उदयपुर

...न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं

करने बाबत कोई संतोषजनक जवाब प्रेषित किया। मैसर्स मनीष सर्जिकल द्वारा उपलब्ध कराये दस्तावेजो के अनुसार इस फर्म कार्य संचालन के लिए उसके मालिक श्री प्रतापराय वाधवानी तथा सक्षम व्यक्ति जगदीश बारबर अवमानक कोटि की औषधियों के लिये के लिए जिम्मेदार है।

मैसर्स फ्लोवल मार्केटिंग प्रा0 लि0 के सविंधान एवं लाइसेंस के आधार पर उक्त फार्मो के कार्यसंचालन के लिए सांकलचंद पटेल, चंदू भाई पटेल, जयन्ति भाई पटेल, गिरीश कुमार पटेल, बाबू भाई पटेल, महेन्द्र कुमार पटेल, ए जी पटेल डायरेक्टर तथा श्रीमती दीपाली पटेल सक्षम व्यक्तियों क लिए अवमानक कोटि की औषधियो के विक्रय के लिये संयुक्तः एवं पृथकतः जिम्मेदार है । फर्म मैससे दीपाली एंटरप्राइजेज का संविधान लाइसेंस के आधार पर इस फार्म के संचालन के लिये इसके सभी पार्टनर्स यथा चन्दू भाई पटेल, श्रीमती कमला बेन, सुनील सी शाह बतौर मैन्युफेक्चरिंग केमिस्ट एवं किरण बेन ए पटेल बतौर एनालिटिकल केमिस्ट के रूप में संयुक्तः एवं पृथकतः अवमानक कोटि की औषधियो के निर्माण एवं विक्रय लिये जिम्मेदार है।

मैसर्स मनीष सर्जिकल से प्राप्त औषधि डिवाइस– इन्फ्यूजन सेट राजकीय विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार अवमानक कोटि का घोषित किया गया एवं वे औषधि पायरोजन टेस्ट में फेल पाई गई। पायरोजन टेस्ट मानव स्वास्थ्य के लिये धातक है इससे गंभीर खतरा हो सकता हैं मनुष्य की मृत्यु भी होने बाबत विशेषज्ञ राय प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष डिपार्टमेंट आफ पेथोलॉजी तथा डिपार्टमेंट आर एन टी मेडिकल कोलेज, उदयपुर द्वारा तथा प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष जीवाणु विज्ञान विभाग आर एन टी, आयुर्विज्ञान महाविघालय, उदयपुर द्वारा दिया गया । इस प्रकार अभियुक्तगण ने अवमानक कोटि की औषधि को विक्रयार्थ, संग्रहण, प्रदर्शन एवं विक्रय करने का अपराध कारित किया है जो कि ड्रग एव कोस्मेटिक अधिनियम 1940 **(जिसे आगे निर्णय में अधिनियम के नाम से सम्बोधित किया जायेगा)** की धारा 18 (a) (i), 18 (a) (iv) 18 (b) सपठित धारा 16, 17 (C), 17 (a) एवं नियम 125–ए, धारा 27 (a), 27 (b), (i), 27 (d) अंतर्गत दंडनीय है। परिवाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

यह परिवाद औषधि निरीक्षक, उदयपुर द्वारा पेश किया गया जो लोकसेवक की श्रेणी में आते है। अतः ऐसी स्थिति में अंतर्गत धारा 200–202 दं0प्र0सं0 के तहत जांच की आवश्यकता नही पाई गई तथा अभियुक्त संख्या–1 से 19 के विरूद्ध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 18

(a) (i), 18 (a) (iv) 18 (b) सपठित धारा 16, 17 (C), 17 (a) एवं नियम 125–ए, धारा 27 (a), 27 (b), (i), 27 (d) का प्रसंज्ञान लिया गया। अभियुक्तगण को तलब किया गया ।

दौराने अन्वीक्षा अभियुक्तगण जगदीश बारबर व बाबू भाई पटेल की मृत्यु हो जाने से उनके विरूद्ध कार्यवाही कमशः दिनांक 27.1.03 व 3.11.08 को ड्रोप की गई तथा अभियुक्त सुनील सी शाह प्रकरण में मफरूर है। अतः उसके अतिरिक्त अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकरण का निस्तारण इस निर्णय के द्वारा किया जा रहा है।

आरोप पूर्व साक्ष्य में परिवादी ललित अजारिया पी.ड.1, जनकरकाज भाटिया पी.ड.2 की साक्ष्य लेखबद्ध की गई। पत्रावली में परिवादी की आरोप पूर्व की साक्ष्य रेकर्ड करने के पश्चात न्यायालय ने बहस आरोप सुनी और अभियुक्तगण को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 18 (a) (i), 18 (a) (iv) 18 (b) सपठित धारा 16, 17 (C), 17 (a) एवं नियम 125–ए, धारा 27 (a), 27 (b), (i), 27 (d) का आरोप सुनाया गया तो अभियुक्तगण ने उक्त आरोप सुन समझकर अन्वीक्षा चाही।

आरोप पश्चात परिवाद के समर्थन में पी.ड. 1 जनकराज भाटिया, पी.ड.2 ललित अजारिया, पी.ड.3 एस एस सुराणा, पी.ड. 4 डा0 पुष्पा मेहता, पी.ड.5 पी. एन. सारस्वत को परीक्षित कराया गया।

प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी–1 ए ललित अजारिया की औषधि निरीक्षक के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना, प्रदर्श पी–2 फार्म नंबर 17, प्रदर्श पी–3 ललित अजारिया द्वारा मैसर्स मनीष सर्जिकल एम्पोरियम की निरीक्षण की रिपोर्ट, प्रदर्श पी–4 ललित अजारिया द्वारा औषधि नियंत्रक को भेजा गया बिल, प्रदर्श पी–5 सेम्पल जांच हेतु भेजे जाने के लिए चाहा गया मार्गदर्शन संबंधित पत्र, प्रदर्श पी–6 औषधि नियंत्रण अधिकारी जयपुर द्वारा भेजा गया पत्र, प्रदर्श पी–7 फार्म नंबर 18, प्रदर्श पी– 8 रजिस्टर्ड कराने की रसीद, प्रदर्श पी–9 राजकीय विश्लेषक गाजिया बाद को भेजे गए सेम्पल का अग्रेषणपत्र, प्रदर्श पी– 10 रजिस्टर्ड कराने की प्रति, प्रदर्श पी–11 राजकीय विश्लेषक की रिपोर्ट, प्रदर्श पी–12 मनीष सर्जिकल एम्पोरियम को राज्य विश्लेषक की रिपोर्ट को भेजा गया पत्र, प्रदर्श पी–13 दीपाली एंटरप्राइजेज को औषधि अवमानक कोटि के संबंध में भेजी गई सूचना, प्रदर्श पी–14 मनीष सर्जिकल एम्पोरियम द्वारा औषधि नियंत्रक को भेजा गया पत्र, प्रदर्श पी–15 फ्लोवल मार्केटिंग प्रा0 लि0 का औषधि नियंत्रक को माल वापस मंगाने बाबत भेजा गया पत्र, प्रदर्श पी–16 फ्लोवल

मजिस्ट्रेट एवं

मार्केटिंग प्रा0 लि0 द्वारा दीपाली एंटरप्राइजेज से खरीदी गई औषधि का बिल, प्रदर्श पी–17, 26 दीपाली एंटरप्राइजेज की औषधि के संबंध में जांच रिपोर्ट, प्रदर्श पी–18, 28 अल्ट्रा एनालिटिकल लेबोरेट्री की रिपोर्ट, प्रदर्श पी–19 दीपाली एंटरप्राइजेज द्वारा औषधि निरीक्षक को माल की बिक्री पर रोक लगाने बाबत भेजा गया पत्र, प्रदर्श पी–20 दीपाली एंटरप्राइजेज का औषधि निरीक्षक को स्वयं के पास स्टॉक नही होने बाबत भेजा गया पत्र, प्रदर्श पी–21 औषधि निरीक्षक का दीपाली एंटरप्राइजेज को फर्म से संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए भेजा गया पत्र, प्रदर्श पी– 22 दीपाली एंटरप्राइजेज द्वारा औषधि निरीक्षक को भेजा गया पत्र, प्रदर्श पी–23 दीपाली एंटरप्राइजेज का दिनांक 1.1.96 से 31.12.97 तक का लाइसेंस, प्रदर्श पी–24 दीपाली एंटरप्राइजेज का लाइफ केयर इन्फ्यूजन सेट के संबंध में लाइसेंस, प्रदर्श पी–25, 52 दीपाली एंटरप्राइजेज की पार्टनरशिप डीड, प्रदर्श पी–27 सुप्रीम सर्जिकल की बेच नंबर 847 के संबंध में स्टेरीलिटी टेस्ट रिपोर्ट, प्रदर्श पी–29 औषधि निरीक्षक द्वारा फ्लोवल मार्केटिंग से दस्तावेज मंगाये जाने बाबत लिखा गया पत्र, प्रदर्श पी–30 फ्लोवल मार्केटिंग द्वारा दस्तावेज मंगाये जाने का अग्रेषण पत्र, प्रदर्श पी–31, 32, 33 फ्लोवल मार्केटिंग का लाइसेंस, प्रदर्श पी–34, 48 फ्लोवल मार्केटिंग का मेमोरेण्डम आफ आर्टिकल आफ ऐसोसिएशन, प्रदर्श पी–35 औषधि निरीक्षक उदयपुर का औषधि नियंत्रक जयपुर को अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देश प्राप्त करने के संबंध में भेजा गया पत्र, प्रदर्श पी– 36, 37, 38 मनीष सर्जिकल एम्पोरियम, फ्लोवल मार्केटिंग तथा दीपाली एंटरप्राइजेज को अनसील्ड माल के संबंध में सूचना देने हेतु लिखे गये पत्र, प्रदर्श पी–39, 40 मनीष सर्जिकल तथा दीपाली एंटरप्राइजेज का औषधि निरीक्षक को माल प्राप्त नही होने के संबंध में लिखे गये पत्र, प्रदर्श पी–41 औषधि नियंत्रक जयपुर का पत्र, प्रदर्श पी–42, 43 फूड एवं ड्रग प्रसाधन अहमदाबाद को दीपाली एंटरप्राइजेज से संबंधित दस्तावेज भेजे जाने हेतु लिखे गये पत्र, प्रदर्श पी–44 परिवाद दायर करने के निर्देश संबंधित औषधि नियंत्रक का पत्र, प्रदर्श पी–'45 औषधि नियंत्रक का औषधि निरीक्षक को दस्तावेज प्राप्त करने हेतु लिखा गया पत्र, प्रदर्श पी– 46 फूड एंड ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन, गांधीनगर गुजराज को लिखा गया पत्र, प्रदर्श पी–47 फ्लोवल मार्केटिंग द्वारा मेमोरेण्डम आफ आर्टिकल भेजे जाने का अग्रेषणपत्र, प्रदर्श पी–49 दीपाली एंटरप्राइजेज द्वारा पार्टनरशिप डीड भेजे जाने का पत्र, प्रदर्श पी–50, 51 दीपाली एंटरप्राइजेज का लाइसेंस देने के लिये निरस्त कराने संबंधी पत्र, प्रदर्श पी– 53 औषधि निरीक्षक द्वारा औषधि नियंत्रक उदयपुर को भेजा गया पत्र, प्रदर्श पी–54, 55 औषधि निरीक्षक द्वारा फूड एंड

ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन गांधीनगर, गुजरात को भेजा गया पत्र, प्रदर्श पी–56, 57 औषधि निरीक्षक द्वारा औषधि नियंत्रक, जयपुर को गुजरात से प्राप्त दस्तावेज के संबंध में सूचना हेतु भेजा गया पत्र, प्रदर्श पी– 58 औषधि नियंत्रक जयपुर का औषधि निरीक्षक को उनके समक्ष उपस्थित होने हेतु लिखा गया पत्र, प्रदर्श पी– 59 औषधि निरीक्षक को वाद दायर करने हेतु प्राधिकृत करने संबंधी आदेश, प्रदर्श पी–60 औषधि नियंत्रक उदयपुर को मैसर्स मनीष सर्जिकल एम्पोरियम का संविधान उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया पत्र, प्रदर्श पी–61 मैसर्स मनीष सर्जिकल फर्म का संविधान संबंधी पत्र, प्रदर्श पी–62 लगायत 64 मैसर्स मनीष सर्जिकल एम्पोरियम का औषधि अनुज्ञापत्र, प्रदर्श पी–65 श्री प्रतापराय वाधवानी का शपथपत्र, प्रदर्श पी– 66 जगदीश बारबर का शपथपत्र, प्रदर्श पी–67 से 69 औषधि नियंत्रक उदयपुर को मैसर्स मनीष सर्जिकल एम्पोरियम से खरीदी गई सेम्पल औषधि के मूल बिल उपलब्ध कराने के संबंध में लिखा गया पत्र, प्रदर्श पी– 70 मैसर्स मनीष सर्जिकल एम्पोरियम द्वारा लिखा गया पत्र, प्रदर्श पी– 71 मैसर्स मनीष सर्जिकल एम्पोरियम का दिनांक 23.4.02 का डुप्लीकेट बिल, प्रदर्श पी–72, प्रदर्श पी– 71 के बिल की राशि जमा कराने की रसीद, प्रदर्श पी– 73 मैसर्स मनीष सर्जिकल का सन 97–98 के लेजर की प्रति, प्रदर्श पी–74 डिपार्टमेंट आफ पेथोलॉजी औषधि के संबंध में मांगी गई राय, प्रदर्श पी–75 डिपार्टमेंट आफ माइक्रोपेथोलॉजी आर एन टी मेडिकल कोलेज की औषधि के संबंध में मांगी गई राय, प्रदर्श पी–76, 77 पेथोलॉजी, माइक्रोपेथोलॉजी आर एन टी मेडिकल कोलेज के संबंध में विशेषज्ञो की राय, प्रदर्श पी–78 मनीष सर्जिकल के डिवाइस कय करने का बिल को प्रदर्शित कराया गया।

अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0स0 में लिए गए तो उन्होने गवाहान के बयान को गलत होना बताकर झूठा फंसाने का कथन किया तथा साक्ष्य सफाई पेश में कोई साक्ष्य पेश नही करना चाहा।

बहस अंतिम सुनी गई ।पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

न्यायालय के समक्ष निर्णीत करने योग्य बिन्दु यह है कि :–

19.5.1997

दिनांक 19.5.97 को औषधि निरीक्षक द्वारा मैसर्स मनीष सर्जिकल एम्पोरियम, उदयपुर से औषधि इन्फयूजन सेट का नमूना लिया गया जो केन्द्रीय प्रयोगशाला से जांच में पायरोजन टेस्ट पास नही होने के कारण अवमानक कोटि का पाया गया। साथ ही आपके द्वारा इन्फयूजन सेट सेम्पल को नोन पायरोजनिक दर्शाया हुआ था, जबकि आप यह जानते थे कि

9

इन्फयूजन सेट नोन पायरोजनिक नही था उसके पश्चात भी इन्फयूजन सेट पर मिथ्या छाप लगाई गई एवं औषधि को विकयार्थ एव वितरण हेतु रखा गया ?

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण संख्या 1 व 2 ने बहस करते हुए तर्क दिया कि विवादित सेम्पल उनके द्वारा फलोवल मार्केटिंग प्रा0 लि0 अहमदाबाद से कय किया गया था। उन्हें सेम्पल के अवमानक कोटि का होने, मिसब्राण्डेड होने, एडलट्रेड होने का कोई ज्ञान नही था। उनके द्वारा फलोवल मार्केटिंग प्रा0 लि0 से सेम्पल जरिये बिल कय किया था एवं सेम्पल को सही अवस्था में उनके द्वारा रखा गया था। अतः अधिनियम की धारा 19 (3) के तहत उन्हें दोषमुक्त किया जाये।

विद्वान अधिवक्ता अन्य अभियुक्तगण ने बहस करते हुए यह तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में एफ एस एल रिपोर्ट प्रदर्श पी– 11 दिनांक 24.9.08 को औषधि निरीक्षक को प्राप्त हो गई थी लेकिन उसके बावजूद भी उनके द्वारा परिवाद दिनांक 27.04.02 को पेश किया गया है जो कि दं0प्र0स0 की धारा 468 के अंतर्गत परिसीमा काल में नही है। उनका यह भी तर्क रहा है कि औषधि निरीद्वाक द्वारा जो सेम्पल लिया गया था, उससे संबंधित अपराध वह धारा 17 (ए) के अंतर्गत आता है एवं धारा 27 (डी) के अनुसार ऐसे मामले मे दो वर्ष तक की सजा एवं जुर्माने से दंडित किये जाने का प्रावधान है एवं दं0प्र0सं0 की धारा 468 कें अनुसार ऐसे मामलो में परिवाद तीन वर्ष तक की परिसीमा के अंतर्गत ही पेश करना था लेकिन परिवादी द्वारा यह परिवाद तीन वर्ष की अवधि के पश्चात पेश किया गया है जबकि औषधि नियंत्रक जयपुर द्वारा उन्हें परिवाद नियत अवधि मे पेश करने का आदेश दिया था, उसके पश्चात भी परिवाद परिसीमा से बाहर पेश किया गया है इसलिए यह मामला चलने योग्य नहीं हैश एवं परिवाद इसी आधार पर खारिज किया जावे।

उनका यह भी तर्क रहा है कि, मैसर्स दीपाली एंटरप्राइजेज को अधिनियम की धारा 23 (4) (3) के तहत सेम्पल तथा अधिनियम की धारा 25 (3) के अंतर्गत राजकीय विश्लेषक की रिपोर्ट उपलब्ध नही कराई गई जिस कारण अभियुक्तगण सेम्पल की दुबारा जांच नही करवा सके, जो कि उनका वैधानिक अधिकार था। औषधि निरीक्षक द्वारा अभियुक्त दीपाली एंटरप्राइजेज को सेम्पल एवं रिपोर्ट की प्रति पेश नही करने के कारण वे सेम्पल को पुनः जांच हेतु नही भेज सके एवं राजकीय विश्लेषक की रिपोर्ट के विरूद्ध कोई साक्ष्य पेश नही कर सके।

अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं

उनका यह भी तर्क रहा है कि प्रस्तुत प्रकरण मे फलोवल मार्केटिंग प्रा0 लि0 के समस्त डायरेक्टर्स को तथा दीपाली एंटरप्राइजेज के सभी पार्टनर्स को अभियुक्त के रूप में संयोजित किया गया है लेकिन परिवाद में एवं परिवादी ललित अजारिया की साक्ष्य में कही भी यह स्पष्ट नही किया गया है कि फर्म के दिन प्रतिदिन के कार्यो के लिय कौन उत्तरदायी था। मात्र फर्म के पार्टनर या कम्पनी के डायरेक्टर होने के आधार पर ही उन्हें दोषी नही ठहराया जा सकता है।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने बहस करते हुए यह भी तर्क दिया कि राजकीय विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार सेम्पल में Toxicity & Sterility Test में सेम्पल पास हो गया था। पायरोजनिक टेस्ट के लिए सेम्पल को फेल बताया गया है । यदि सेम्पल Toxicity के लिए पास हो गया था तो पायरोजनिक के लिए फेल होना संभव नही नही था। Toxicity पास होने का अर्थ ही यह था कि उस सेम्पल में किसी प्रकार के बेक्टीरिया मौजूद नही थे। उनका यह भी तर्क रहा है कि, पायरोजनिक टेस्ट के लिए न्यूनतम 80 यूनिट सेम्पल प्रयोगशाला में भेजे जाने चाहिए थे जिनका तीन बार टेस्ट होना आवश्यक था लेकिन औषधि निरीक्षक की और से मात्र सेम्पल के 25 यूनिट ही जांच हेतु प्रयोगशाला मे भेजे गए थे जो यह साबित करता है कि, जांच नियमानुसार नही हुई थी, जबकि अभियुक्तगण द्वारा इससे पूर्व अल्ट्रा एनालिटिकल लेबोरेट्री से सेम्पल की जांच कराई गई थी जिसमें पायरोजन के लिए सेम्पल को पास किया गया था। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाये।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने अपने उपरोक्त तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये, जिनका हमारे द्वारा ससम्मान अवलोकन किया गया।

[1] AIR 1998 SUPREME COURT 1919
State of Rajasthan V. Sanjay Kumar

Criminal P.C.[2 of 1974], Ss. 468, 469-period limition - commencement-offence of manufacture of adulterated, substandard, mis-branded spurious drugs and/or storage

distribution and sale of such drugs in contravention of Act-Filling of complaint- Period of limitation starts only from date 0f receipt of report of public Analyst-Not from date of taking of sample by drug Inspector.

[2] 1999 Cri. L.J. 1729
Rajesh Agrawal V.State of Bihar

Criminal P.C. [2 of 1974], S. 468 Essential Commodities Act [10 of 1955], Section 3[2][b][i]- Cognizance of offence-Taken after expiry of one year of alleged offence- offence committed punishable with imprisonment of one year only-Prosecution hit by S. 468 of Code- liable to be quashed.

[3] 1999 Cri. L. J.
State of Maharshtra V. R.A. Chandawarkar

Drugs and Cosmetics Act [23 of 1940] S. 34-Offences by company- No averment nor any evidence to effect that accused persons were incharge of and responsible for conduct of business of company-Prosecution cannot lie against such accused persons.

[4] AIR 2008 SUPREME COURT 1939

अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं

M/s. Medicamen Biotech Ltd. V. Rubina Bose, Drug Inspector

Drugs and cosmetics Act [23 of 1940] Ss. 25 [3], [4], 27-Right to get sample analysed by central Drugs laboratory-Deprivation-Effect-Accused, Manufacturer of Drugs- Sample taken found sub-standrd by Govt.Analyst-Accused disputing report and requesting for test by central laboratory- No action taken thereon- Complaint filed just few days before expiry of sample drug-Valuable right to get sample re-tested lost-complaint liable to be quashed.

[5] AIR 1981 SUPREME COURT 872
State of Karnataka V. Pratap Chand

Drugs And Cosmetics Act 13 of 1940 Sections 34 and 18(a)(ii), (c) Partnership firm charged with offenses under Section 18 (a) (ii) and (c) partner not in overall control of day to day business of firm - He is not liable to be convicted for the offences.

विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने अधिवक्ता अभियुक्तगण के उक्त तर्को का विरोध करते हुए यह तर्क दिया कि परिवाद नियमानुसार विहित अवधि में ही पेश किया गया था। उनका यह भी तर्क रहा है कि परिवाद अंतर्गत धारा 18 (ए) (1), 18 (ए) (6), 18 (बी) सपठित धारा 16, 17/27 (ए), 27 (बी) (1), 27 (डी) के तहत पेश किया गया है । उपरोक्त धाराओ में ही न्यायालय द्वारा

प्रसंज्ञान लिया गया है जिसके विरूद्ध किसी प्रकार की अपील/रिवीजन अभियुक्तगण द्वारा नही की गई गई है। धारा 27 (ए) के तहत न्यूनतम 5 साल अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है एवं दं0प्र0स0 की धारा 468 के अनुसार परिवाद परिसीमा काल के अंतर्गत ही है। धारा 468 (3) के अनुसार धारा 27 (डी) के अंतर्गत दी गई सजा के अनुसार परिसीमा काल को तय किया जा सकता है एवं उसी के अनुसार यह परिवाद निर्धारित परिसीमा काल के अंतर्गत पेश किया गया है।

विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने अधिवक्ता अभियुक्तगण के द्वितीय तर्क का खंडन करते हुए यह तर्क दिया कि मैसर्स मनीष सर्जिकल एम्पोरियम ने अधिनियम की धारा 18 (ए) के तहत मैसर्स फ्लोवल मार्केटिंग प्रा0 लि0 से सेम्पल वाली डिवाइस जरिये वैध बिल क्रय करना बताया है, अर्थात धारा 18 (A) के तहत मैसर्स फ्लोवल मार्केटिंग प्रा0 लि0 बताया गया था इसलिए मैसर्स फ्लोवल मार्केटिंग प्रा0 लि0 को नियमानुसार सेम्पल एवं राजकीय विश्लेषक की रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई थी। उनका यह भी तर्क रहा है कि धारा 23 (4) एवं 25(3) के अंतर्गत उस फर्म को सेम्पल एवं रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु आदेशित किया गया है जिसका कि नाम धारा 18 (ए) के तहत बताया गया हो एवं प्रस्तुत प्रकरण में भी चूकि मैसर्स फ्लोवल मार्केटिंग प्रा0 लि0 का नाम धारा 18 (A) के तहत मैसर्स मनीष सर्जिकल एम्पोरियम द्वारा बताया गया था। अतः ऐसी स्थिति में अधिवक्ता अभियुक्तगण का उक्त स्वीकार नही किया जावे कि सेम्पल एवं रिपोर्ट प्रेषित नही की गई है ।

विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने अधिवक्ता अभियुक्तगण के तृतीय तर्क का खंडन करते हुए यह तर्क दिया कि मैसर्स फ्लोवल मार्केटिंग प्रा0 लि0 एवं दीपाली एंटरप्राइजेज ने अपने आर्टिकल आफ ऐसोसिएशन तथा पार्टनरशिप डीड पेश की थी जिसके अनुसार फर्म के समस्त डायरेक्टर्स एवं पार्टनर दिन प्रतिदिन के कार्य के लिए उत्तरदायी थे तथा परिवाद में भी परिवादी ने स्पष्ट रूप से वर्णित किया है कि मैसर्स दीपाली एंटरप्राइजेज के समस्त पार्टनर्स तथा फ्लोवल मार्केटिंग प्रा0लि0 के समस्त डायरेक्टर दिन-प्रतिदिन के लिए संयुक्तः एवं पृथकतः उत्तरदायी थे इसलिए उन्हें प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण के रूप में संयोजित किया गया है। उनका यह भी तर्क रहा है कि किसी भी अभियुक्तगण की और से इसके खंडन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया, जो यह साबित करता हो कि उस फर्म के दिन प्रतिदिन के कार्य को वह नही देख रहा हो या उसे इस बात की जानकारी का सम्यक ज्ञान भी नही हो

पाया कि दीपाली एंटरप्राइजेज द्वारा जो डिवाइस बनाई जा रही थी वह अवमानक कोटि की हो। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के विरूद्ध जो परिवाद पेश किया गया है, वह बिलकुल उचित है, फर्म एव कम्पनी के सभी डायरेक्टर्स एवं पार्टनर्स फर्म के द्वारा किए गए कृत्य के लिए संयुक्तः एवं पृथकतः उत्तरदायी है।

विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने अधिवक्ता अभियुक्तगण के चतुर्थ तर्क का विरोध करते हुए तर्क दिया कि पायरोजन एवं टोक्सीसिटी दोनो ही पृथक अवयव है। अधिवक्ता अभियुक्तगण ने न्यायालय को गुमराह करते हुए दोनो को एक होना बताया है। यह जरूरी नही है कि यदि सेम्पल टोक्सीसिटी जांच के लिए पास हो गया था तो स्वतः ही पायरोजन के लिए पास माना जावे। टोक्सीसिटी का अर्थ बेक्टीरिया को मृत करना है, पायरोजन के अंतर्गत यह आवश्यक है कि, उस डिवाइस में वे मृत बेक्टीरिया भी मौजूद न रहे, उनको भी निकाला जाना आवश्यक था। लेकिन अभियुक्त संख्या–1 से प्राप्त सेम्पल इन्फयूजन सेट में पायरोजन पाया गया एवं विशेषज्ञ की रिपोर्ट के अनुसार पायरोजन मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक था।

उनका यह भी तर्क रहा है कि, पायरोजन टेस्ट के लिए 80 यूनिट होना आवश्यक नही है। इंडियन फार्मो कोपिया (आई पी) में पायरोजन टेस्ट के संबंध में प्रकिया बताई गई है एवं उस प्रकिया में 80 यूनिट की आवश्यकता नहीं होती है मात्र एक यूनिट से भी जांच की जा सकती है। उनका यह भी तर्क रहा है कि, यदि अभियुक्तगण को राजकीय विश्लेषक की रिपोर्ट से कोई आपत्ति थी तो नियमानुसार अधिनियम की धारा 25 (3) के अनुसार रिपोर्ट प्राप्त होने के 28 दिन के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष अथवा औषधि निरीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर यह उन्हें पत्र लिखकर पुनः जांच के लिए कह सकते थे लेकिन ऐसी कोई आपत्ति उनके द्वारा नही ली गई है । ऐसी स्थिति में राजकीय विश्लेषक की रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट है जो साक्ष्य में ग्राह्य होकर निश्चयात्मक प्रकृति की है एवं उस पर आपत्ति करने का अब अधिवक्ता अभियुक्तगण को कोई अधिकार नहीं है। राजकीय विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार सेम्पल पायरोजन टेस्ट के लिए पास नही हुआ है वह अवमानक कोटि का था । अतः ऐसी स्थिति में समस्त अभियुक्तगण को दोषी ठहराया जावे।

उभय पक्षो की बहस सुनी गई। पत्रावकली का अवलोकन किया गया।

अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपो के संबंध में हमारा विनिश्चय इस प्रकार से है :–

अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं

अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपो को साबित करने के लिए परिवादी की और से कुल 5 गवाहान को साक्ष्य मे पेश किया गया है। सर्वप्रथम अधिवक्ता अभियुक्तगण ने परिसीमा काल के संबंध में विधिक आपत्ति उठाई है।

इस संबंध में हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया है। यह परिवाद परिवादी की और से धारा 18(1), (ए), 18 (ए) (6), 18 (बी) सपठित धारा 16, 17, 17 (ए) / 27 (ए), 27 (बी) (1), 27 (डी) के तहत पेश किया गया जिस परिवाद पर न्यायाल्य ने दिनांक 7.8.02 को उपरोक्त धाराओ के तहत प्रसंज्ञान लिया गया था जिस आदेश के विरूद्ध किसी प्रकार की रिवीजन/अपील अभियुक्तगण द्वारा नही की गई थी। अतः ऐसी स्थिति में प्रसंज्ञान आदेश अंतिम हो गया था।

दं0प्र0स0 की धारा 468 (3) में यह प्रावधानित किया गया है कि:–

इस धारा के प्रयोजनो के लिए उन अपराधो के संबंध में जिनका एक साथ विचारण किया जा सकता है परिसीमा काल उस अपराध के प्रतिनिर्देश से अवधारित किया जाएगा जो, यथास्थिति, कठोरतर या कठोरतम दण्ड से दंडनीय है।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त AIR 1998 SUPREME COURT 1919, 1999 Cri. L.J. 1729 का अवलोकन किया गया, लेकिन उक्त दोनो ही प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं होते है क्योकि प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी द्वारा जिन अपराधो के संदर्भ में परिवाद पेश किया गया है उसमें सजा तीन वर्ष से अधिक अवधि की है।

चूकि प्रस्तुत प्रकरण में अधिनियम की धारा 27 (1) (ए) में न्यूनतम 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है। अतः ऐसी स्थिति में दं0प्र0स0 की धारा 468 के अनुसार यह परिवाद परिसीमा काल में है।

प्रस्तुत प्रकरण में श्री ललित अजारिया द्वारा दिनांक 19.5.97 को मैसर्स मनीष सर्जिकल एम्पोरियम, उदयपुर का निरीक्षण फर्म मालिक श्री प्रतापराय वाधवानी की उपस्थिति में किया गया था जिसके द्वारा यह परिवाद पेश किया गया है एव उन्होने अपने आरोप पूर्व साक्ष्य में एव आरोप पश्चात साक्ष्य में यह साक्ष्य दी है कि वक्त निरीक्षण लाइफ केयर आई वी सेट बेच नंबर 847 का नमूना वास्ते जांच लिया था जो कुल 100 नग लिए गए थे जिसके लिए फार्म नंबर 17 मुर्तिब किया गया जिसकी एक प्रति फर्म मालिक को दी गई थी।

अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं

निरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी– 3 है । निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति प्रतापराय वाधवानी को दी गई जिसकी रसीद प्रदर्श पी– 3 पर ई से एफ है एवं जी से एच उसके हस्ताक्षर है। गवाह ने यह भी साक्ष्य दी है कि नमूने की मात्रा को चार भागो में बांटा गया जिसके पेकेट बनाकर सील से सीलबंद किया गया प्रत्येक सेम्पल पर नमूना कमांक यूडीआर/एलएजे/मई 97/जी ए 1 दिया गया। प्रत्येक सीलबंद भाग पर फर्म मालिक प्रतापराय ने अपनी मोहर लगाकर हस्ताक्षर किये एवं सभी भागो पर मोहर लगाकर साइन किये, जो आर्टिकल–1 है जिस पर सी से डी प्रतापराय के एवं ए से बी उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी– 3 पर नमूना सील एक्स स्थान पर अंकित की गई। वक्त निरीक्षण लिये गये नमूने के उधार का विकय बिल कमांक 92 रूपये 1236 प्राप्त किया गया। नमूने को वास्ते जांच सी आई पी एल गाजियाबाद को फार्म नंबर 18 के साथ भिजवाया गया जिसका मेमोरेण्डम प्रदर्श पी– 7 है। फार्म नंबर 18 की एक प्रति अलग से रजिस्टर्ड डाक से राजकीय विश्लेषक गाजियाबाद को प्रेषित की गई जिसकी रसीद प्रदर्श पी– 9 है। सी आई पी एल गाजियाबाद की रिपोर्ट प्रदर्श पी– 11 है जिसकी एक प्रति नियमानुसार मनीष सर्जिकल एम्पोरियम को भेजी गई जो प्रदर्श पी– 12 है, जिसकी पुश्त पर सी से डी, इ से एफ प्रतापराय के हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी– 12 के कम में मनीष सर्जिकल एम्पोरियम ने जवाब पेश किया जिसमें फ्लोवल मार्केटिंग प्रा0लि0 के बिल की कोपी दी गई । श्री जनक भाटिया ने फ्लोवल मार्केटिंग प्रा0लि0 को नोटिस दिया जिसका जवाब प्रदर्श पी– 15 उन्हें प्राप्त हुआ था जिस जवाब के साथ दीपाली एंटरप्राइजेज अहमदाबाद के बिल तथा अल्ट्रा एनालिटिकल लेबोरेट्री के सर्टीफिकेट की प्रति प्रदर्श पी– 16, 17, 18 भेजी गई थी जिस पर दीपाली एंटरप्राइजेज को रजिस्टर्ड नोटिस आई वी सेट से संबंधित नमूना लेकर एवं विकय विवरण की जानकारी हेतु निर्देशित किया गया था, जिन्होने अपने पत्र प्रदर्श पी– 20 के जरिये अप्रमाणित छायाप्रतियां गाजियाबाद को प्रेषित की थी जिस पर पुनः उन्हें पत्र जारी किया गया था। तत्पश्चात उनके द्वारा प्रदर्श पी– 22 के जवाब में लाइसेंस, प्रोडक्टस लिस्ट, पार्टनरशिप डीड, मेमोरेण्डम रिपोर्ट, सर्टीफिकेट आफ एनालिसिस पेश किये गये। औषधि निरीक्षक राजस्थान राज्य द्वारा मुझे परिवाद पेश करने हेतु आदेशित किया गया था। सेम्पल की अवमानक कोटि के संबंध में राय प्राप्त करने हेतु हैड डिपार्टमेंट आफ पेथोलॉजी, हैड डिपार्टमेंट माइकोबॉयलोजी को प्रदर्श पी– 74 एवं 75 प्रेषित किये गये थे जिसका जवाब दोनो डिपार्टमेंट की और से प्रदर्श पी– 76, 77 प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार प्रोडक्टस पायरोजन युक्त होने पर इसके उपयोग से मरीज की मृत्यु तक हो

जाने की राय विशेषज्ञ द्वारा दी गई। राजकीय विश्लेषक द्वारा प्रदर्श पी– 11 के अनुसार लाइफ केयर आई वी सेट बेच नंबर 847 निर्माता मैसर्स दीपाली एंटरप्राइजेज अवमानक कोटि का होने का घोषित किया गया था जिसके कारण उनके द्वारा मैसर्स मनीष सर्जिकल एम्पोरियम, मैसर्स फ्लोवल मार्केटिंग प्रा0लि0 तथा दीपाली एंटरप्राइजेज एवं उनके पार्टनर के विरूद्ध परिवाद पेश किया गया।

परिवादी ललित अजारिया की उक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का हमारे द्वारा अवलोकन किया गया।प्रदर्श पी– 3 निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 19.5.97 को ललित अजारिया मैसर्स मनीष सर्जिकल एम्पोरियम का निरीक्षण किया गया था जिसमें बेच नंबर 847 के इन्फ्यूजन सेट (लाइफ केयर) का सेम्पल प्राप्त किया गया था जिससे संबंधित फार्म नंबर 17 प्रदर्श पी– 2 है। फार्म नंबर 17 की पुश्त पर फर्म से इन्फयूजन सेट के 100 यूनिट प्राप्त करना बताये गये है जिसे चार भागो में बांट कर के मौके पर ही सीलबंद किया गया तथा एक पोरशन श्री प्रतापराय को दिया गया। प्रदर्श पी– 2 की पुश्त पर इ से एफ प्रतापपराय, मनीष सर्जिकल के प्रोपराइटर के हस्ताक्षर होना यह साबित करता है कि निरीक्षण उनके सामने ही किया गया था एवं नियमानुसार सेम्पल का एक भाग उन्हें मौके पर ही दिया गया था जो सेम्पल परिवादी द्वारा क्रय किया गया व नियमानुसार राशि अदा कर प्राप्त किया गया था। जिस सेम्पल को राजकीय विश्लेषक, गाजियाबाद जांच हेतु भेजा गया जिसके साथ फार्म नंबर 18, प्रदर्श पी– 7 तथा सेम्पल भेजे जाने का मेमोरेण्डम प्रदर्श पी– 9 है तथा राजकीय विश्लेषक की रिपोर्ट प्रदर्श पी– 11 है। प्रदर्श पी– 11 में इस बात का हवाला है कि, सेम्पल सीलशुदा अवस्था में था तथा उस पर वही सील अंकित थी जों मेमो पर अंकित थी अर्थात प्रदर्श पी– 7 फार्म नंबर 18 के एक्स स्थान पर जो सील अंकित थी वही सील सेम्पल पर मौजूद थी जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि सी आई पी एल गाजियाबाद में जो नमूना भेजा गया वह सीलबंद अवस्था में ही था। उसके साथ किसी प्रकार की छेडछाड नही हुई थी।

प्रस्तुत प्रकरण में ललित अजारिया द्वारा मैसर्स मनीष सर्जिकल का निरीक्षण किया गया था एवं निरीक्षण के दौरान इन्फ्यूजन सेट बेच नंबर 847 का नमूना सेम्पल लिया गया एवं प्रदर्श पी– 11 रिपोर्ट के अनुसार वह सेम्पल ~~नॉन~~ पायरोजनिक पाया गया था। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त संख्या– 1 व 2 ने बहस करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 19 (3) का लाभ देने का निवेदन किया। इस संबंध में पत्रावली पर मौजूद मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का

A495

अवलोकन किया गया। मैसर्स मनीष सर्जिकल ने अपने पत्र प्रदर्श पी– 14 के जरिये मैसर्स फ्लोवल मार्केटिंग प्रा0लि0 से जरिये बिल नंबर 551 दिनांक 16.11.96 क्रय करना बताया, जिससे संबंधित बिल प्रदर्श पी–78 है। प्रदर्श पी– 78 का हमारे द्वारा अवलोकन किया गया । प्रदर्श पी– 78 से इस बात की पुष्टि होती है कि फ्लोवल मार्केटिंग प्रा0लि0 ने इनवाइस नंबर 551 दिनांक 16.11.96 के जरिये बेच नंबर 847 के आई वी सेट 500 नग मनीष सर्जिकल एम्पोरियम उदयपुर को बेचान किये थे। औषधि निरीक्षक ललित अजारिया की निरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–3 के अनुसार बेच नंबर 847 के इन्फयूजन सेट ही सेम्पल हेतु औषधि निरीक्षक द्वारा प्राप्त किये गये थे, जो बेच नंबर 847 के आई वी सेट फ्लोवल मार्केटिग प्रा0 लि0 से क्रय किये गये थे । जिसको मनीष सर्जिकल को जी और सी (1) में बताई गई औषधियों को बेचान करने बाबत लाइसेंस प्राप्त था, लाइसेंस प्रदर्श पी–62 से 64 है, जो पत्रावली पर मौजूद है तथा परिवादी की और से इस बाबत कोई आरोप मनीष सर्जिकल एम्पोरियम पर नही लगाया कि नियमानुसार दवाईया बेचान करने का लाइसेंस उनके पास नही हो। परिवादी ललित अजारिया ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि:–

"मनीष सर्जिकल के प्रोपराइटर प्रतापराय के पास दवाईया विक्रय करने का अधिकृत लाइसेंस था। वहां पर दवाइंयों का स्टॉक रखा जाता है उस जगह की स्टोरेज व्यवस्था पूर्णतया सही है। मेरे द्वारा जिन आई वी सेट के सेम्पल लिए गए उनकी पैकिंग पूर्णतया सही अवस्था में थी। यह सही है कि जिस अवस्था में निर्माता कम्पनी द्वारा माल को भेजा जाता है,उसी अवस्था में माल मनीष सर्जिकल की दुकान पर मौजूद था। यह सही है कि मनीष सर्जिकल से रिटेल का माल विक्रय नही किया जाता है, पूर्णतया होलसेल स्तर पर विक्रय किया जाता है। यह सही है कि डिस्पोजेबल स्टरराई पायरोजन फ्री के निर्माण की जिम्मेदारी निर्माता कम्पनी की होती है।"

ललित अजारिया ने आरोप पूर्व जिरह एवं आरोप पश्चात जिरह में यह स्वाकार किया है कि, मनीष सर्जिकल ने माल फ्लोवल मार्केटिंग से अधिकृत बिल के जरिये क्रय किया था एवं उनके पास माल उसी अवस्था में था जिस अवस्था में उनके द्वारा माल प्राप्त किया गया था। पी.ड.3 डा0 एस एस सुराणा, जो कि प्रोफेसर एंड हेड पेथोलॉजी विभाग आर एन टी मेडिकल कोलेज में पदस्थापित थे, ने अपनी जिरह में यह साक्ष्य दी है कि:–

अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं
[illegible] अधिकरण, उदयपुर (राज.)

"यह सही है कि मेरे द्वारा जो औषधि के नुकसान संबंधी राय दी है, उसमें पायरोजन कियेशन होता है तो वह निर्माण के समय ही हो सकता है।"

इसी प्रकार पी.ड.4 डा0 पुष्पा मेहता, जो कि आर एन टी मेडिकल कोलेज के माइक्रोबॉयलोजी विभाग में प्रोफेसर एंड हेड के पद पर पदस्थापित थी, नेअपनी जिरह में यह साक्ष्य दी है कि:–

"कि पायरोजन का कियेशन आई वी सेट के निर्माण के समय हो सकता है। आई वी सेट को सामान्य तापमान पर ही रखना होता है किसी विशेष तापमान पर रखने की आवश्यकता नही है।"

इस प्रकार दोनो ही विशेषज्ञ पी.ड. 3 एवं 4 ने अपनी साक्ष्य में पायरोजन का कियेशन आई वी सेट के निर्माण के समय ही होना बताया है एवं प्रस्तुत प्रकरण में मनीष सर्जिकल उस आई वी सेट का निर्माता नही था। बल्कि उनके द्वारा फ्लोवल मार्केटिंग प्रा0लि0 से जो कि एक अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर थे, से कय किये गये थे । विशेषज्ञ पी.ड.3 व 4 ने अपनी जिरह मे यह भी स्पष्ट किया है कि, आई वी सेट को किसी विशेष तापमान पर रखने की आवश्यकता नही थी अर्थात उसके लिए कोई विशेष सावधानी बरतना आवश्यक नही था एवं परिवादी ललित अजारिया ने भी अपनी जिरह मे यह स्पष्ट रूप से यह कहा कि जिस अवस्था में माल खरीदा गया था, उसी अवस्था में मनीष सर्जिकल के यहां से माल को उनके द्वारा प्राप्त किया गया था। निर्माता के मूल पेकेट में ही माल मनीष सर्जिकल के पास था एवं जहां पर दवाईयों का स्टॉक रखा जाता था, वहां पर सामान्य परिस्थितियां थी।

अधिनियम की धारा 19 (3) के अंनुसार यदि कोई व्यक्ति दवाई या कोरमेटिक का निर्माता अथवा उस कम्पनी के ड्रग्स एवं कोरमेटिक के वितरण का एजेंट नही है तो वह अधिनियम के तहत उत्तरदायी नही होगा, यदि उसने वह दवाई या कोस्मेटिक सम्यक रूप से लाइसेंसधारी निर्माता, डिस्ट्रीब्यूटर से कय किया हो तथा सम्यक ज्ञान रखने के पश्चात ही वह इस बारे में जानकारी प्राप्त नही कर सकता हो दवाई अधिनियम के किसी प्रावधान की अवहेलना करती हो तथा जब तक वह दवाई या कोरमेटिक उसके पास रही थी तब तक उसी अवस्था में स्टोर की गई थी जिस अवस्था में प्राप्त की गई थी।

प्रस्तुत प्रकरण में मनीष सर्जिकल ने फ्लोवल मार्केटिंग प्रा0 लि0 से बेच नंबर 847 के आई वी सेट कय किये थे, जो फ्लोवल मार्केटिंग प्रा0 लि0

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं

अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर थे, जिसका लाइसेंस प्रदर्श पी–31, 32, 33 पत्रावली पर मौजूद है तथा आर्टिकल आफ ऐसोसिएशन प्रदर्श पी– 34 के रूप में मौजूद है तथा विशेषज्ञ राय के अनुसार आई वी सेट को रखने के लिए किसी विशेष तापमान की आवश्यकता नही थी। अतः ऐसीस्थिति में मनीष सर्जिकल उदयपुर कम्पनी तथा इनके प्रोपराइटर धारा 19 (3) का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते है।

जहां तक फ्लोवल मार्केटिंग प्रा0 लि0 तथा दीपाली एंटरप्राइजेज का प्रश्न है, फ्लोवल मार्केटिंग प्रा0 लि0 ने बेच नंबर 847 के आई वी सेट दीपाली एंटरप्राइजेज से कय किये थे जिससे संबंधित विल प्रदर्श पी– 16 पत्रावली पर मौजूद है ।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने बहस करते हुए यह तर्क दिया कि अभियुक्तगण को अधिनियम की धारा 23 (4) के अनुसार सेम्पल एवं 25 (3) के अनुसार राजकीय विश्लेषक की रिपोर्ट की प्रति प्राप्त नही हुई थी, इसलिए उन्हें सेम्पल को पुनः टेस्ट कराने का अधिकार प्राप्त नही हुआ। धारा 23(4) एवं 25 (3) के प्रावधान आज्ञात्मक थे जिसका पालना परिवादी द्वारा नही किये जाने से अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जावे।

अधिवक्ता अभियुक्तगण के उक्त तर्क पर मनन किया गया। यह सही है कि अधिनियम की धारा 23 (3) के अनुसार औषधि निरीक्षक को यह दायित्व दिया गया है, कि वह सेम्पल को चार भागो में विभाजित करे तथा 23 (4) के अनुसार एक भाग राजकीय विश्लेषक को, दूसरा भाग उस न्यायालय को जिसके कि समक्ष कार्यवाही की जानी है तथा तीसरा भाग उस व्यक्ति को जिसका कि नाम एवं पता धारा 18 (A) के तहत बताया गया है तथा चौथा भाग उस व्यक्ति जिससे कि सेम्पल प्राप्त किया गया है, प्रदान करे। फार्म नंबर 17 प्रदर्श पी– 2 की पुश्त पर लिखी इबारत से इस बात की पुष्टि होती है कि औषधि निरीक्षक ने उसी दिनांक को सेम्पल का एक भाग श्री प्रतापराय प्रोपराइटर, मनीष सर्जिकल को दे दिया था, एक भाग राजकीय विश्लेषक को भेजा जा चुका था। मनीष सर्जिकल ने अपने पत्र कमांक 14 दिनांक 30.11.98 के अंतर्गत धारा 18-(A) की पालना करते हुए बेच नंबर 847 की औषधि मैसर्स फ्लोवल मार्केटिंग प्रा0 लि0 164, आशीर्वाद स्टेट नरोडा रोड, अहमदाबाद से कय करना बताया है। चूंकि अधिनियम की धारा 23(4) एवं 25 (3) के अनुसार औषधि निरीक्षक को धारा 18 (A) के अनुसार बताये गये व्यक्ति/फर्म को ही सेम्पल एवं रिपोर्ट प्रेषित करनी थी, जो सेम्पल एवं रिपोर्ट दिनांक 2.12.98 को

प्रति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मार्फ

जरिये पत्र कमांक डी आई/एफ/सेम्पल/581-83 भेजे गए थे जिसके संबंध में ललित अजारिया ने भी जिरह में भी यह साक्ष्य दी है कि सीलबंद सेम्पल को एक पोरशन मनीष सर्जिकल द्वारा प्रस्तुत बिल प्रदर्श पी- 78 मैसर्स फ्लोवल मार्केटिंग प्रा0 लि0 अहमदाबाद को जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट पार्सल से पत्र दिनांक 2.12.98 से भिजवाया गया। हालांकि दिनांक 2.12.98 का वह पत्र परिवादी द्वारा प्रदर्शित नही कराया गया है लेकिन पत्रावली पर 581--583 दिनाक 2.12.98 के रूप में मौजूद है तथा इसी पत्र कमांक के संदर्भ में फ्लोवल मार्केटिंग प्रा0 लि0 द्वारा औषधि निरीक्षक को प्रदर्श पी- 15 पत्र दिनांक 14.12.98 प्रेषित किया गया था। चूकि प्रदर्श पी- 15 में संदर्भ डी आई/एफ/सेम्पल/581-83 दिनांक 2.12.98 ही अंकित है अतः इससे इस बात की पुष्टि होती है कि परिवादी द्वारा धारा 23 (4) एवं 25 (3) की पालना करते हुए फ्लोवल मार्केटिंग प्रा0 लि0 को विश्लेषक की रिपोर्ट उपलब्ध करा दी गई थी क्योकि दिनांक 2.12.98 के पत्र में इस बात का हवाला आया है कि मनीष सर्जिकल द्वारा धारा 18 (ए) के तहत बताये गए नाम के अनुसार सेम्पल के अवमानक पाये जाने पर सेम्पल एवं रिपोर्ट फ्लोवल मार्केटिंग प्रा0 लि0 को प्रेषित कर दी गई थी। हालांकि सेम्पल दीपाली एंटरप्राइजेज को नहीं भेजे गए। लेकिन धारा 23 (4) एवं 25 (3) में यह प्रावधानित है कि धारा 18 (A) के तहत बताये गये व्यक्ति/फर्म को सेम्पल एवं विशेषज्ञ की रिपोर्ट उपलब्ध करावे, जिसे आज्ञात्मक प्रावधान की पालना परिवादी द्वारा कर दी गई थी।

इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त AIR 2008 Supreme Court 939 का ससम्मान अवलोकन किया गया लेकिन यह न्यायिक दृष्टान्त वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं होता है, क्योकि प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी द्वारा अधिनियम की धारा 18-A के तहत बताई गई फर्म/व्यक्ति मैसर्स फलोवल मार्केटिंग प्रा0 लि0 को सेम्पल एवं रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई थी। साथ ही दीपाली एंटरप्राइजेज को भी रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई थी जिसकी पुष्टि प्रदर्श पी- 15 व पी-21 से होती है।

विद्वान सहायक लोक अभियोजक द्वारा इस संबंध मे पेश नजीर 2001 सीआर एल आर, एस सी 349 का अवलोकन किया गया। जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है :-

Drugs & cosmetics Act 1940 Section 23 [4][3] sec. 25[3] & 32 [a]- collection of sample of drugs by drugs inspector- non

न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं

supply of one portion of sample to the manufacturer who was joined co-accused-report having tested by sample drug laboratory & report having attained finality, no injustice caused by not giving one portion of sample to co-accused-co-accused [manufacturer] connot be acquitted on technical ground.

माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त नजीर का हमारे द्वारा सादर अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में धारा 18-A-2 (A) के तहत बताये गये व्यक्ति/फर्म फ्लोवल मार्केटिंग प्रा0 लि0 को सेम्पल एवं रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई थी तथा मैसर्स दीपाली एंटरप्राइजेज को राजकीय विश्लेषक की रिपोर्ट सत्यापित प्रति प्रेषित कर दी गई थी, जिसकी पुष्टि प्रदर्श पी– 21 से होती है अधिनियम की धारा 25 (3) के अनुसार अभियुक्तगण को रिपोर्ट प्राप्त होने के 28 दिन के अंदर या तो निरीक्षक अथवा उस न्यायालय के समक्ष जहां की कार्यवाही लंबित थी, को राजकीय विश्लेषक की रिपोर्ट के संबंध में आपत्ति करनी चाहिए थी। प्रस्तुत प्रकरण मे पत्रावली पर पेश मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्तगण द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति औषधि निरीक्षक या न्यायालय के समक्ष प्रदर्श पी–11 रिपोर्ट के संबंध में की गई हो। अतः ऐसी स्थिति में इस स्तर पर अधिवक्ता अभियुक्तगण यह आपत्ति नही ले सकते कि निरीक्षक द्वारा उन्हें सेम्पल एवं रिपोर्ट नही दी गई तथा धारा 23(4) एवं 25 (3) के आज्ञात्मक प्रावधानो की पालना नही करने के कारण वे सेम्पल की पुनः जांच नही करा सके। धारा 25(3) के अनुसार प्रदर्श पी– 11 रिपोर्ट निश्चयात्मक साक्ष्य की श्रेणी में आती है क्योकि इस रिपोर्ट के विरूद्ध किसी प्रकार की आपत्ति अभियुक्तगण द्वारा विहित 28 दिन की अवधि में नही की गई थी।

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
जिला न्यायालय, उदयपुर
उदयपुर

प्रदर्श पी– 11 रिपोर्ट के अनुसार बेच नबर 847 के आई वी सेट ~~कोष~~ 3– पायरोजनिक पाये गये ।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने बहस करते हुए यह भी तर्क दिया कि राजकीय विश्लेषक द्वारा नियमानुसार तीन बार टेस्ट नही किया गया। यदि सेम्पल पायरोजन टेस्ट में फेल था तो उन्हें तीन बार टेस्ट करना आवश्यक था जिसके लिए 80 यूनिट राजकीय विश्लेषक को जांच हेतु भेजना आवश्यक था।

जबकि रिपोर्ट प्रदर्श पी– 11 के अनुसार मात्र 25 यूनिट ही जांच के लिए भेजी गई थी जिससे यह साबित होता है कि प्रदर्श पी– 11 रिपोर्ट सही नहीं है इस संबंध में उनके द्वारा माइकोबायलोजिकल टेस्ट एवं असेज (**Assays**) किताब के पेज नंबर 105 लगायत 112 पेश किये गये, जिसका हमारे द्वारा अवलोकन किया गया लेकिन इसमें स्टेरीलिटी टेस्ट के संबंध में प्रोसीजर बताया गया है जिसमें 80 यूनिट होना आवश्यक है लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में प्रदर्श पी– 11 रिपोर्ट के अनुसार सेम्पल स्टेरीलिटी टेस्ट के लिए पास (**ok**) पाया गया था। अतः स्टेरीलिटी टेस्ट के संबंध मे दी गई प्रकिया को पायरोजन टेस्ट के संदर्भ में नही माना जा सकता ।

परिवादी की और से आई पी (Indian pharmocofia) 1996 तथा आई पी 2014 की प्रतियां पेश की गई जिसमें पायरोजन टेस्ट संबंधित प्रकिया को दर्शाया हुआ है। उक्त प्रकिया में ऐसा कही भी दर्शित नही है कि डिवाइस के जांच के लिए न्यूनतम 80 यूनिट की आवश्यकता हो। इसके अतिरिक्त यदि प्रदर्श पी– 11 के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति अभियुक्तगण को थी तो वे अधिनियम की धारा 25 (3) के अनुसार नियत अवधि में आपत्ति निरीक्षक या न्यायालय के समक्ष पेश करते। आपत्ति नही करने की स्थिति में उक्त रिपोर्ट निश्चयात्मक है अतः इस रिपोर्ट पर अब आपत्ति अभियुक्तगण नही उठा सकते।

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
जिला न्यायालय, उदयपुर

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने बहस करते हुए यह भी तर्क दिया कि टोक्सीसिटी एंव स्टेरीलिटी (Toxicity & sterility) टेस्ट के लिये सेम्पल को पास किया गया है। यदि टोक्सीसिटी के लिये सेम्पल पास हो चुका था तो पायरोजन होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। उनके द्वारा हमारे समक्ष Rohans New illustrated medical dictionary के कुछ पृष्ठो को पेश किया गया है जिसमें टोक्सीसिटी तथा पायरोजन की परिभाषा दी गई है:– toxicity - degree of virulence of a toxic microbe or of a poison; The capacity of drug damage body tissue or seriously impair body functions

pyrogen - chemical released by microorganisms neutrophils, monocycles,

मजिस्ट्रेट एवं किराया अधिकरण उदयपुर

अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं

and other cells that stimulates fever production by acting on th hypothalamus.

मेडिकल डिक्शनरी में दी गई टोक्सीसिटी एवं पायरोजन की परिभाषा का अवलोकन किया गया। डिक्शनरी मे दोनो ही शब्दो को पृथक पृथक रूप से परिभाषित किया गया है। यदि टोक्सीसिटी एवं पायरोजन एक ही चीज होती तो उन्हें पृथक पृथक रूप से परिभाषित नही किया जाता है। उनको पृथक पृथक रूप से परिभाषित किया जाना ही यह साबित करता है कि, दोनो ही अलग अलग है। विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने भी बहस करते हुए यही तर्क दिया कि यदि टोक्सीसिटी के अंतर्गत बेक्टीरिया को मृत कर नही निकाला जाता है तो वह पायरोजन की केटेगिरी में हो जाता है आई वी सेट के निर्माण के समय उसमें से न सिर्फ बेक्टीरिया को मारा जाता है बल्कि मत बेक्टीरिया को भी इनमें से बाहर निकाला जाना भी आवश्यक है। अतः ऐसी स्थिति में अधिवक्ता अभियुक्तगण का दिया गया तर्क कि यदि सेम्पल टोक्सीसिटी के अंतर्गत पास हो गया है तो पायरोजन के अंतर्गत फेल नही हो सकता हो, नही माना जा सकता है।

ललित अजारिया की साक्ष्य के अनुसार मनीष सर्जिकल एम्पोरियम, उदयपुर से आई वी सेट का नमूना सेम्पल लिया गया था जिसे नियमानुसार मौके पर ही चार भागो में विभक्त कर सीलबंद किया गया जिसमें से एक भाग मौके पर ही मनीष सर्जिकल एम्पोरियम, उदयपुर के प्रोपराइटर प्रतापराय वाधवानी को सुपुर्द किया गया एवं एक भाग नियमानुसार रासायनिक विश्लेषक प्रयोगशाला, गाजियाबाद को प्रेषित किया गया। परिवादी की साक्ष्य के अनुसार सेम्पल लिये जाने से लेकर जांच में भेजे जाने तक सेम्पल सीलबंद अवस्था में ही रहा था। ललित अजारिया एवं जनक राज भाटिया की जिरह में ऐसा कोई विरोधाभाष नही आया है जो इस बात पर संदेह पैदा करता हो कि सेम्पल के साथ किसी प्रकार की छेडछाड हुई हो। ललित अजारिया द्वारा नियमानुसार रिपोर्ट मनीष सर्जिकल द्वारा अधिनियम की धारा 18-A में बताई गई फर्म मैसर्स फ्लोवल मार्केटिंग प्रा0 लि0 को सेम्पल एवं रिपोर्ट प्रेषित की गई। साथ ही दीपाली एंटरप्राइजेज को भी रिपोर्ट की सत्यापित प्रति पेश की गई थी लेकिन फ्लोवल मार्केटिंग प्रा0 लि0 तथा मैसर्स दीपाली एंटरप्राइजेज द्वारा नियत अवधि में किसी प्रकार की आपत्ति रिपोर्ट प्रदर्श पी- 11 के संबंध में नही की गई है जिससे उक्त रिपोर्ट अंतिम एवं निश्चयात्मक हो जाती है जिसके अनुसार बेच नंबर 847 का आई वे सेट पायरोजनिक पाया गया। लेकिन मैसर्स मनीष

प्रति माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं

सर्जिकल एम्पोरियम की दुकान से जो सेम्पल ललित अजारिया ने निरीक्षण के दौरान प्राप्त किया गया था, उसे सेम्पल पर नोन पायरोजनिक लिखा हुआ था जो अधिनियम की धारा 17 (C) के अनुसार मिसब्राण्डेड की श्रेणी में आता है। विशेषज्ञ पी.ड.3 श्री एस एस सुराणा एवं पी.ड.4 डा0 पुष्पा मेहता के अनुसार सेम्पल के पायरोजनिक होने से सेम्पल का उपयोग करने पर किसी मरीज को गंभीर उपहति आ सकती थी, यहां तक कि मृत्यु कारित होना भी संभव बताया गया। अतः ऐसी स्थिति में लिया गया सेम्पल अधिनियम की धारा 17–ए के तहत एडलट्रेहेड (Adultrated) ड्रग्स की श्रेणी में भी आता है क्योकि सेम्पल, इन्फयूजन सेट(डिवाइस)को उपयोग के इलाज के समय किया जाता है।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने बहस करते हुए यह तर्क दिया कि परिवादी द्वारा मैसर्स फलोवल मार्केटिंग प्रा0 लि0 के समस्त डायरेक्टर्स तथा मैसर्स दीपाली एंटरप्राइजेज के सभी पार्टनर्स को प्रकरण में अभियुक्त के रूप में संयोजित किया है लेकिन परिवादी ने अपने परिवाद एवं साक्ष्य में यह स्पष्ट नही किया है कि, फर्म तथा कम्पनी के कार्यो के लिए कौन कौन उत्तरदायी थे। उनका यह भी तर्क रहा है कि, अधिनियम की धारा 34 के तहत फर्म एवं कम्पनी के मामलो में उन्हीं डायरेक्टर्स एवं पार्टनर्स को दोषी ठहराया जा सकता है जो कि फर्म के दिन प्रतिदिन के कार्यो के लिए उत्तरदायी हो लेकिन परिवादी द्वारा यह स्पष्ट नही किया गया है । अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाये।

विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने इसका विरोध करते हुए यह तर्क दिया कि मैसर्स फलोवल मार्केटिंग प्रा0 लि0 द्वारा कम्पनी का मेमोरेण्डम आफ ऐसोसिएशन पेश किया था। इसी प्रकार मैसर्स दीपाली एंटरप्राइजेज की पार्टनरशिप डीड के अनुसार समस्त डायरेक्टर्स एवं पार्टनर्स का कम्पनी तथा फर्म पर पूर्ण नियंत्रण था एवं वे दिन प्रतिदिन के कार्य संचालित करने के लिए उत्तरदायी थे इसलिए समस्त डायरेक्टर्स एवं पार्टनर्स को अभियुक्तगण बनाया गया। उनका यह भी तर्क रहा है कि अभियुक्तगण की ओर से ऐसी कोई मौखिक एव दस्तावेजी साक्ष्य इसके विपरीत पेश नही की है जो यह साबित करती हो कि मैसर्स फलोवल मार्केटिंग प्रा0 लि0 का कोई डायरेक्टर एवं दीपाली एंटरप्राइजेज का कोई पार्टनर दिन प्रतिदिन के कार्यो के लिये उत्तरदायी न हो। अतः ऐसी स्थिति में समस्त अभियुक्तगण को दोषी ठहराया जावे।

अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं
किराया अधिकरण, उदयपुर (राज.)

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त AIR 2008 SUPREME COURT 1939 एवं AIR 1981 SUPREME COURT 872 का ससम्मान अवलोकन किया गया ।

फलोवल मार्केटिंग प्रा0 लि0 की और से परिवादी ललित अजारिया को मेमोरेण्डम एंड आर्टिकल आफ ऐसोसिएशन प्रदर्श पी– 34 पेश किया गया था। प्रदर्श पी– 34 के अनुसार मैसर्स फलोवल मार्केटिंग प्रा0 लि0 के डायरेक्टर्स (1) श्री सांकलचंद शिवराम पटेल, (2) श्री चंदू भाई सांकचल चंद पटेल, (3) श्री जयन्ति भाई सांकलचंद पटेल, (4) श्री गिरीश कुमार गंगाराम पटेल, (5) श्री बाबू भाई सांकलचंद पटेल, (6) श्री महेन्द्र सांकलचंद पटेल, (7) ए.जी. पटेल को दर्शाया गया है। प्रदर्श पी 34 के अनुसार समस्त डायरेक्टर्स द्वारा ही कम्पनी के दिन प्रतिदिन का कार्य किया जाना था। प्रदर्श पी– 34 में कही भी इस बात का हवाला नही आया है कि इनमें से कोई भी डायरेक्टर सक्रिय डायरेक्टर की श्रेणी में नही हो। इसी प्रकार मैसर्स दीपाली एंटरप्राइजेज की पार्टनरशिप डीड प्रदर्श पी– 25 के अनुसार श्री जयन्ति भाई, महेन्द्र कुमार, कमला बेन, दही बेन पार्टनर्स के रूप में दर्शाये हुए है एवं पार्टनरशिप डीड में कही भी इस बात का हवाला नही आया है कि इनमें से कोई भी पार्टनर्स सक्रिय पार्टनर की श्रेणी में न हो अथवा सुप्त पार्टनर हो।

अतः मैसर्स फलोवल मार्केटिंग प्रा0 लि0 के मेमोरेण्डम एंड आर्टिकल आफ ऐसोसिएशन एवं दीपाल एंटरप्राइजेज की पार्टनरशिप डीड से इस बात की पुष्टि होती है कि उपरोक्त दोनो ही फर्म के समस्त डायरेक्टर्स तथा पार्टनर्स फर्म के दिन प्रतिदिन के कार्यो के उत्तरदायी थे। परिवादी द्वारा अपने परिवाद के पेज नंबर –20 एव 21 के अंत में इस बात का वर्णन किया है कि सभी अभियुक्तगण फर्म के दिन प्रतिदिन के कार्यो के लिये समान रूप से उत्तरदायी थे। अभियुक्तगण की और से ऐसी कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर नही आई है जिससे यह साबित हो कि फलोवल मार्केटिंग प्रा0 लि0 के अभियुक्त डायरेक्टर्स में से कोई डायरेक्टर दिन प्रतिदिन का कार्य नही देख रहा हो या वह दिन प्रतिदिन के कार्यो के लिए उत्तरदायी नही हों अथवा सम्यक ज्ञान एवं तत्परता रखने के पश्चात भी उसे इस बात की जानकारी प्राप्त नही हो सकी हो कि कम्पनी द्वारा एडलट्रेहेड एवं मिसब्राण्डेड डिवाइस का निर्माण कराया जा रहा था। ललित अजारिया को भी जिरह में अभियुक्तगण संख्या– 5 से 17 के संदर्भ में ऐसा कोई सुझाव नही दिया गया कि वे फर्म के

अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं
किराया अधिकरण, उदयपुर (राज.)

~~दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं थे~~। अतः ऐसी स्थिति में मेमोरेण्डम एंड आर्टिकल आफ ऐसोसिएशन तथा पार्टनरशिप डीड से इस बात की पुष्टि होती है कि समस्त अभियुक्तगण फर्म के दिन प्रतिदिन के कार्यो के लिए उत्तरदायी थे। मैसर्स दीपाली एंटरप्राइजेज द्वारा बेच नंबर 847 इन्फयूजन सेट का निर्माण किया गया जिसको मैसर्स फलोवल मार्केटिंग प्रा0लि0 द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करते हुए मैसर्स मनीष सर्जिकल एम्पोरियम को दिया गया, जिसकी पुष्टि प्रदर्श पी– 16 व 78 से होती है। प्रदर्श पी– 16 दीपाली एंटरप्राइजेज द्वारा मैसर्स फलोवल मार्केटिंग प्रा0 लि0 को बेच नंबर 846–847 के इन्फयूजन सेट बेचान से संबंधित बिल है तथा प्रदर्श पी– 78 फलोवल मार्केटिंग प्रा0लि0 द्वारा मैसर्स मनीष सर्जिकल एम्पोरियम को बेच नंबर 847 बेचान करने का बिल है ।

पत्रावली पर मौजूद समस्त फर्द दस्तावेज तथा गवाहान के बयानो से इस बात की पुष्टि होती है कि मैसर्स दीपाली एंटरप्राइजेज द्वारा बेच नंबर 847 का इन्फयूजन सेट जो कि एक डिवाइस होकर औषधि की श्रेणी में आता है, निर्माण किया गया जिस निर्माण के लिए उपरोक्त फर्म के समस्त पार्टनर्स उत्तरदायी थे। प्रस्तुत प्रकरण में किरन बेन टेस्टिंग एनालिटिकल केमिस्ट को भी अभियुक्त बनाया गया है। हालांकि किरन बेन दीपाली एंटरप्राइजेज की पार्टनर नहीं है लेकिन वह उपरोक्त फर्म में टेस्टिंग एनालिटिकल केमिस्ट थी उनके द्वारा दीपाली एंटरप्राइजेज द्वारा निर्मित की गई बेच नंबर 847 इन्फयूजन सेट केमिकल एनालिसिस किया गया। पत्रावली पर मौजूद दस्तावेज प्रदर्श पी– 26 से इस बात की पुष्टि होती है कि बेच नंबर 847 के संबंध में एनालिसिस रिपोर्ट श्रीमती किरन बेन द्वारा दी गई थी एवं उस रिपोर्ट में बेच नंबर 847 के इन्फयूजन सेट जिसका कि सेम्पल श्री ललित अजारिया द्वारा प्राप्त किया गया था, के संबंध में पायरोजनिक रहित रिपोर्ट दी गई थी, जबकि राजकीय विश्लेषक गाजियाबाद की रिपोर्ट प्रदर्श पी– 11 के अनुसार बेच नंबर 847 पायरोजनिक पाया गया हैं। अतः ऐसी स्थिति में वह भी अपराध के लिये दायित्वाधीन है। अभियुक्तगण चंदू भाई पटेल, महेन्द्र पटेल, कमला बेन पटेल, दही बेन पटेल, जो कि दीपाली एंटरप्राइजेज के पार्टनर थे जिनके द्वारा अवमानक कोटि की औषधियों का निर्माण किया जाकर उसका बेचान किया गया। ~~अतः उन्हें~~ धारा 17, 17 A [E]/ 27 A के तहत दोषी पाये जाते ~~योग्य~~ है।

जहां तक फलोवल मार्केटिंग प्रा0लि0, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर ~~थी एवं श्रीमती~~ दीपाली पटेल का प्रश्न है, उनके द्वारा औषधियों का निर्माण नही किया जाता है

न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं

उनके द्वारा मैसर्स दीपाली एंटरप्राइजेज से औषधियों को क्रय कर बेचान किया जाता है। दीपाली पटेल मैसर्स फलोवल मार्केटिंग की डायरेक्टर नही है मात्र सक्षम व्यक्ति है अपराध किये जाने में उनका किसी प्रकार से योगदान रहा हो। इस संबंध में स्पष्ट साक्ष्य परिवादी की और से नहीं आई है। अतः दीपाली पटेल को दोषी ठहराया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है लेकिन फलोवल मार्केटिंग प्रा0 लि0 तथा उनके डायरेक्टर सांकल चंद पटेल, चंदू भाई पटेल, जयन्ति भाई पटेल, गिरीश कुमार पटेल, महेन्द्र कुमार पटेल तथा ए जी पटेल धारा 17, 17 A [E]/ 27 [b] के तहत दोषी पाये जाते है क्योकि उनके द्वाराऐसी औषधि का बेचान किया गया है,जो कि एडलट्रेहेड एव मिसब्राण्डेड थी, जिसके बारे में अभियुक्तगण को इस बात की जानकारी थी कि औषधि एडलट्रेहेड एव मिसब्राण्डेड है, उसके पश्चात भी औषधि का बेचान मैसर्स मनीष सर्जिकल एम्पोरियम को किया गया।

:: आदेश ::

अतः अभियुक्तगण दीपाली एटरप्राइजेज जरिये पार्टनर चन्दू भाई पटेल, तथा महेन्द्र कुमार पटेल, कमला बेन पटेल, दही बेन पटेल, चन्दू भाई पटेल--पार्टनर दीपाली एंटरप्राइजेज को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 17, 17– A [e]/ 27 (a) के तहत दोषी करार दिया जाता है,

जबकि अभियुक्ता श्रीमती किरन ए पटेल एवं फर्म फलोवल मार्केटिंग प्रा0 लि0 जरिये डायरेक्टर्स सांकल चंद पटेल तथा सांकलचंद पटेल पुत्र शिवराम पटेल, चंदू भाई, पटेल पुत्र सांकलचंद पटेल, जयन्ति भाई पटेल पुत्र सांकलचंद पटेल, गिरीश कुमार पुत्र गंगाराम पटेल, महेन्द्र कुमार पटेल पुत्र साकलचंद पटेल, ए जी पटेल को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 17, 17 A [e]/ 27 [b] के तहत दोषी करार दिया जाता है। अभियुक्त मनीष सर्जिकल, प्रजापति एवं दीपाली पटेल को दोषमुक्त किया जाता है।

(अल्का गुप्ता)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
किराया अधिकरण, उदयपुर

सजा के प्रश्न पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने सजा के प्रश्न पर बहस करते हुए यह तर्क दिया कि अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है । अभियुक्तगण समाज में सम्मानित व्यक्ति है, सजा दिये जाने से उनके भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा।

उनका यह भी तर्क रहा है कि, अभियुक्त सांकलचंद पटेल तथा कमला बेन पटेल की उम्र तकरीबन 90 वर्ष है जो काफी लम्बे समय से अस्वस्थ है तथा चलने फिरने में असमर्थ है आज भी उन्हें एम्बुलेंस मे लाया गया है यदि उन्हें जेल भेजा जाता है तो उनकी देहावसान की संभावना हो सकती हैं। अतः अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जावे।

विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने इसका विरोध करते हुए यह तर्क दिया कि अभियुक्तगण मैसर्स दीपाली एंटरप्राइजेज तथा उनके पार्टनर्स द्वारा ऐसी औषधि का निर्माण कार्य किया गया जो कि मानव स्वास्थ्य के लिये हानिकारक थी जिसके सेवन से मृत्यु कारित तक होना संभावित था। अतः परिवीक्षा का लाभ नही दिया जावे।

उभय पक्षो को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्त मैसर्स दीपाली एंटरप्राइजेज द्वारा जिस औषधि का निर्माण किया गया वह मानव स्वास्थ्य के लिय हानिकारक थी । विशेषज्ञ राय के अनुसार गंभीर उपहति /मृत्यु तक कारित होना संभव था। यह सही है कि अभियुक्त सांकलचंद एवं कमला बेन 90 वर्षीय वयोवृद्ध व्यक्ति होकर अस्वस्थ है। अभियुक्त कमला बेन को जिस अपराध के लिये दोषी ठहराया गया है उसमें आजीवन कारावास एव अर्थदंड की सजा का प्रावधान है। अतः ऐसी में उनके अस्वस्थ होने के बावजूद भी उन्हें परिवीक्षा का लाभ दिया जाना हमारे लिये असंभव है। अतः अभियुक्तगण का अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध है, ऐसे अपराध में परिवीक्षा का लाभ दिया जाना संभव नही है।

दंडादेश

अतः अभियुक्तगण दीपाली एंटरप्राइजेज जरिये पार्टनर चन्दू भाई पटेल, तथा महेन्द्र कुमार पटेल, कमला वेन पटेल, दही बेन पटेल, चन्दू भाई पटेल–पार्टनर दीपाली एंटरप्राइजेज को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 17, 17– A [e]/ 27 (a) का दोषी पाये जाने पर पांच (5) वर्ष का साधारण कारावास एवं 20,000 (अक्षरे बीस हजार रूपये) के अर्थदंड से दंडित किया जाता है, अदम अदायगी अर्थदंड प्रत्येक अभियुक्त दो–दो माह का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतेंगे।

जबकि अभियुक्ता श्रीमती किरन ए पटेल एवं फर्म फलोवल मार्केटिंग प्रा0 लि0 जरिये डायरेक्टर्स सांकल चंद पटेल तथा सांकलचंद पटेल पुत्र शिवराम पटेल, चंदू भाई पटेल पुत्र सांकलचंद पटेल, जयन्ति भाई पटेल पुत्र सांकलचंद पटेल, गिरीश कुमार पुत्र गंगाराम पटेल, महेन्द्र कुमार पटेल पुत्र साकलचंद

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
जिला न्यायालय, उदयपुर

पटेल, ए जी पटेल को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 17, 17 A [e]/ 27 [b] के तहत दोषी पाये जाने पर दो (2) वर्ष के साधारण कारावास तथा 10,000 (अक्षरे दस हजार रूपये) के अर्थदंड से दंडित किया जाता है, अदम अदायगी अर्थदंड प्रत्येक अभियुक्त एक–एक माह का साधारण कारावास भुगतेगा।

उपरोक्त समस्त अभियुक्तगण का सजा वारंट बनाया जावें। उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में न्यायिक एवं पुलिस अभिरक्षा में बिताई गई अवधि उन्हें दी गई मूल सजा में नियमानुसार समायोजित की जावें। निर्णय की प्रति उपरोक्त अभियुक्तगण को निःशुल्क दी जावे।

हालांकि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 27 ए में वर्तमान में सजा न्यूनतम 10 वर्ष तथा अर्थदंड न्यूनतम दस लाख रूपये का प्रावधान है लेकिन वर्तमान प्रकरण सन 2002 का है उस समय के दंडादेश के आधार पर ही दंड दिया जाना उचित है क्योकि वांछित दंड का प्रावधान retrospective नहीं है।

उपरोक्त अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वे धारा 437 (ए) दं0प्र0स0 के तहत श्रीमान अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थिति हेतु जमानत मुचलके पेश कर तस्दीक करावे ।

जबकि अभियुक्तगण मनीष सर्जिकल एम्पोरियम जरिये मालिक प्रतापराय वाधवानी, प्रतापराय वाधवानी एवं दीपाली पटेल को अधिनियम की धारा 17 सी, 17 ए, 16 एवं नियम 125–ए /27 (ए), (27) (बी) (1), 27 (डी) के तहत दोषमुक्त किया जाता है। पूर्व में प्रस्तुत उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

उपरोक्त अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वे धारा 437 (ए) दं0प्र0स0 के तहत श्रीमान अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थिति हेतु जमानत मुचलके पेश कर तस्दीक करावे ।

प्रकरण मे अभियुक्त सुनील सी शाह मफरूर है तथा पत्रावली के सरवरक पर उसके मफरूर होने तथा पत्रावली का कोई भाग जाया नही किये जाने का नोट लाल स्याही से लगाया जावे।

(अल्का गुप्ता)
अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
किराया अधिकरण, उदयपुर

अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं
किराया अधिकरण, उदयपुर (राज.)

निर्णय आज दिनांक 27.06.2014 को विवृत न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(अल्का गुप्ता)
अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
किराया अधिकरण, उदयपुर

अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं
किराया अधिकरण, उदयपुर (राज.)

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
न्यायालय, उदयपुर